न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2017 (राजसमन्द डिकी)

1. नारायण पिता स्वर्गीय गोमा जी कुमावत, निवासी भगवान्दा कला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. वरदीचन्द पिता स्वर्गीय गोमा जी कुमावत, निवासी भगवान्दा कला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. किसनलाल पिता स्वर्गीय गोमा जी कुमावत, निवासी भगवान्दा कला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती शंकरी बाई पुत्री स्वर्गीय गोमा जी पत्नी भंवर जी कुमावत, निवासी लवाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती रामु पुत्री स्वर्गीय गोमा जी पत्नी हीरालाल जी कुमावत, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती उदी बाई पुत्री स्वर्गीय गोमा जी पत्नी नंदलाल जी कुमावत, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. खेमा पिता बालू जी कुमावत, निवासी भगवान्दा कला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. रामचन्द्र पिता कजोड़ जी कुमावत, निवासी भगवान्दा कला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती मांगी बाई पुत्री नारिया जी गमेती पत्नी गणेश जी गमेती, निवासी बारेडा (फरारा), तहसील राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क किया गया
2. शंकरलाल पिता गणेश जी भील, निवासी बारेडा (फरारा), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती धापू बेवा हरिराम जी भील, निवासी मोही, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द (राज.)

5. श्रीमती धापू देवी पत्नी मांगीलाल जी भील, निवासी भगवान्दा कला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द
दिनांक 20–02–2017 प्र.सं. 116 / 16

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री प्रहलाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2, 3, 5
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

–––::–––

निर्णय **दिनांक 16–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या 1 से 6 के पूर्वाधिकारी गोमा व अपीलान्ट संख्या 7 व 8 द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पति नारिया व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वज कालू पिता तुलछा जी कुमावत ने ग्राम भगवान्दा कला स्थित कुंआ साबिक आराजी नंबर 355 / 1 को प्रतिवादी के पिता उदा पुत्र रामा भील से क्रय की। खातेदार उदा व उसके भाई लालू ने दिनांक 15–09–1954 को एक रूपये के स्टाम्प पर कालू पिता तुलछा कुमावत के पक्ष में 60 / – रूपये में निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से पूर्व में वादीगण के पूर्वाधिकारी कालू जी का एवं उसके बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादी का कब्जा मुखालफाना एडवर्स पजेशन परिपक्व हो चुका है। उक्त साबिक आराजी नंबर 355 / 1 के हाल आराजी नंबर 496 पर प्रतिवादी नारिया का कभी कब्जा नहीं रहा, क्योंकि नारिया के पिता उदा द्वारा दिनांक 15–09–1954 को ही विक्रय कर कब्जा कालू पिता तुलछा को सुपुर्द कर दिया था, किन्तु उदा के मरने के बाद विरासती नामान्तरकरण नारिया के नाम खुल गया, जिससे वह अनावश्यक विवाद पैदा करने लगा। बिजली का कनेक्शन भी वादीगण के पिता कालू के नाम से है, जिसे 45 वर्ष हो चुके हैं। अतएवं वाद

वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी नारिया की मृत्यु हो जाने से दिनांक 21–11–2017 को उसके कायम मुकाम संस्थित किये गये। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07–05–2018 अनुसार प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा उनके द्वारा जवाब पेश करने का अवसर चाहा गया।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06–12–2016 अनुसार वादी ने प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की तामिल अखबार में साया करा उसकी प्रति न्यायालय में पेश की। उनकी ओर से न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा करर्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 20–12–2016 को साक्ष्य में खेमा कुमावत ने शपथ पत्र पेश किया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–02–2017 को वकील वादी की बहस सुनी जाकर अपने निर्णय दिनांक 20–02–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–04–2017 को प्रस्तुत पेश गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 की ओर से वकील श्री प्रहलाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से दिनांक 10–11–2017 को आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद के लम्बित रहने के दौरान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 शंकरलाल एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 धापू द्वारा विवादित आराजी नंबर 431, 453, 492, 495, 496 व 497 का विक्रय श्रीमती धापू देवी पत्नी मांगीलाल भील के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय कर उसका पंजीयन दिनांक 30–08–2017 को करा दिया है। अतएवं क्रेता धापू देवी को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के रूप में संस्थित किया जावे।

उक्त आवेदन का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने वाद के दौरा आराजी चाह नंबर को विक्रय करने का कथन किया है, जिसे विपक्षी स्वयं साबित करावे एवं वाद के दौरान विक्रय किया गया तो अपीलान्ट ने उक्त तथ्य की जानकारी न तो अधिनस्थ न्यायालय को दी न ही अपील न्यायालय को। यदि दौराने वाद विक्रय कर दिया गया था तो उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए था। अतएवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निवेदन किया कि अपीलान्ट ने जानबूझकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद उसे पक्षकार बनाया है, जिससे अपील दूषित एवं डीफेक्टिव होने से खारिज योग्य है।

उक्त प्रारम्भिक आपप्ति का जवाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहवन से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगीबाई को पक्षकार बना दिया गया है। अतएवं उसका नाम हटाया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

→ प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09–02–2018 को केता धापू देवी को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के रूप में संस्थित किया जा चुका है। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से भी वकील श्री प्रहलाद शर्मा उपस्थित हुए।

प्रकरण में हम यह पाते हैं कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगीबाई की मृत्यु होना स्वीकृत तथ्य है तथा मांगीबाई के अन्य कोई वारिसान होने बाबत् रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। तद्नुसार मांगीबाई के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिन आधारों पर वाद खारिज किया है, वे आधार न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। विक्रय पत्र 100/– रूपये से कम का होकर उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र में आराजी नंबर व कितना रकबा अंतरित किया गया, इसका अंकन नहीं होने के आधार पर वाद खारिज कर दिया, जबकि मिलान खसरा प्रदर्श 4 में साबिक आराजी नंबर 355/1 वर्तमान आराजी नंबर 496 किस्म चाह पर अपीलान्ट का कब्जा होना व कुऐ का निर्माण संवत् 2015 में होकर उसपर तीन ढांणे बने हुए हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 42 ए से भी उक्त प्रकरण बाधिक माना है, जबकि धारा 42 ए दिनांक 11–11–1992 को राज्य सरकार द्वारा विलोपित कर दी गयी है तथा धारा 42 बी के प्रावधान सन् 1964 से लागू होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विद्युत संबंध की साक्ष्य उपलब्ध थी।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अपने स्वत्व का जो आधार बताया है, उसमें वर्ष 1954 कर विक्रय बताया है। उक्त विक्रय पत्र में आराजी नंबर ही अंकित नहीं है तो फिर विक्रय पत्र को मान्यता दिये जाने का कोई आधार नहीं है, न ही उक्त विक्रय पत्र में इस प्रकार के कोई तथ्य वर्णित हैं जिससे उक्त भूमि को विनिश्चत किया जा सके, तद्नुसार प्रचलित राजस्व रेकार्ड से भी उक्त भूमि का कोई विनिश्चियन नहीं किया जा सकता। भूमि स्पष्ट रूप से नारिया के खातेदारी में प्रदर्श 2 जमाबन्दी में दर्ज है।

प्रकरण में जहां तक कब्जे का प्रश्न है। मिलान खसरा में भी खाते के रूप में उदा एवं उसके बाद नारिया का नाम दर्ज है तथा कालू पिता तुलछा कुमावत उपकृषक के रूप में दर्ज है। विद्युत बिल जो अपीलान्ट/वादीगण द्वारा पेश किये गये हैं, उक्त बिल विवादित चाह नंबरों के ही हों ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। क्षण भर के लिए अपीलान्ट/वादीगण का कब्जा मान भी लिया जाये तो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी कानून में खातेदारी अधिकार दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं, जैसाकि माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम प्रतिपादित निर्णय आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय आर.आर.डी. दिनांक 14–06–2017 पेज 352 से सुस्पष्ट है। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा विक्रय एवं प्रतिकूल कब्जे की विरोधाभाषी प्लीडिंग्स साथ–साथ ली गयी है। प्रकरण में विक्रय पत्र से वादी/अपीलान्टगण का स्वत्व प्रमाणित नहीं है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नवीनतम न्यायिक निर्णय द्वारा काश्तकारी कानून में खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण का वाद जो खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

नारायण पिता स्व. गोमा जी कुमावत, निवासी भगवान्दा कला, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य <u>बनाम</u> **श्रीमती मांगीबाई पुत्री नारिया पत्नी गणेश जी गमेती, निवासी बारेडा (फरारा), तह0 राजसमन्द व अन्य**

अपील नं॰...........**29/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**राजसमन्द**.......... मुकाम.............मुवर्खे.............**20**...........माह.............**02**.............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**16**.....माह........**08**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी........**श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित**..............मिनजानिब अपीलान्ट व....... **श्री प्रहलाद शर्मा** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**16**.....माह.......**08**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।